

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

श्रीपुत्र बनाम अन्ना

किस्म मुकदमा :-

राज0 काश्त0 अधि0 1955

प्रकरण संख्या 142 सन् :- 2024

53,88,188

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>15/7/24</p> <p>22.8/24</p> <p>पुत्र जुद्ध R.No-23</p>	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंगन धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 22/8/24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p> <p>श्रीपुत्र जी विरुद्ध अन्ना ने 08.3.23 को मोर देव का कलाम घेरा मिन व 08.12.23 को पत्रावली (पुत्र, 23) को गौप्य रूप में तामील कराया। वाद पत्र के लिए उप. 1 को प्रतिवादीगण वास्ते तलबी उप. 1 ही विरुद्ध अन्ना के सामने पेश की गयी। अन्ना जवाब पत्रावली गौप्य दिनांक 29/11/24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p>	
<p>24.11.24</p>	<p>अधिवक्ता वादी ने उपरोक्त वाद पत्र विरुद्ध अन्ना को पेश किया। पत्रावली तलब की गयी। वाद अधिवक्ता के विरुद्ध वाद पत्रावली तलब के लिए उप. 1 को प्रतिवादीगण वास्ते तलबी उप. 1 ही विरुद्ध अन्ना के सामने पेश की गयी। अन्ना जवाब पत्रावली गौप्य दिनांक 29/11/24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद</p>	